भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2771

07.08.2023 को उत्तर के लिए

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केन्द्र

2771. श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़ :
श्री हँसमुखभाई एस. पटेल :
श्री जी.एम. सिद्देश्वर :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केन्द्रों की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश भर में ऐसे केन्द्रों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या देश में अधिकांश प्लास्टिक कचरे का निपटान असंगठित क्षेत्र द्वारा किया जाता है जिसमें कूड़ा बीनने वाले और अपशिष्ट के कारोबारी (डीलर्स) शामिल हैं; और

(ड.) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन्हें समग्र प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा बनाने के लिए क्या पहल की गई है/की जा रही है, क्योंकि वे अनिवार्य रूप से प्लास्टिक के कबाड़ को जमा करने वाले के रूप में कार्य कर रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ड.) मंत्रालय द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2022 को प्लास्टिक पैकेजिंग हेतु विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी दिशानिर्देश अधिसूचित किए गए थे। इन दिशानिर्देशों में ईपीआर, प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण, कठोर प्लास्टिक पैकेजिंग के पुन: उपयोग तथा पुनर्चक्रित प्लास्टिक वस्तु के उपयोग के संबंध में अनिवार्य लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। दिशानिर्देशों के तहत, प्लास्टिक पैकेजिंग हेतु उत्तरदायी निकायों अर्थात् उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों (पीआईबीओ) और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं (पीडब्ल्यूपी) को केन्द्रीकृत ऑनलाइन ईपीआर पोर्टल पर पंजीकरण कराना भी अनिवार्य बनाया गया है। पीआईबीओ के ईपीआर के लक्ष्यों को पंजीकृत पीडब्ल्यूपी से ईपीआर प्रमाणपत्र प्राप्त करके पूरा किया जाना है। पीआईबीओ द्वारा प्लास्टिक पैकेजिंग से संबंधित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के कार्यान्वयन से कूड़ा बीनने वालों और अपशिष्ट डीलरों सहित अनियमित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र की भागीदारी से प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण और प्रसंस्करण को शामिल करते हुए अपशिष्ट प्रबंधन सेक्टर का और विकास होगा।

प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए केन्द्रीकृत ईपीआर पोर्टल पर पंजीकृत पीडब्ल्यूपी की कुल संख्या 2047 है। आज की तिथि के अनुसार, ऑनलाइन ईपीआर पोर्टल पर लगभग 25953 उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक (पीआईबीओ) पंजीकृत हैं। वर्ष 2022-23 के लिए ईपीआर का दायित्व 3 मिलियन टन है। पंजीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा 2.9 मिलियन टन अपशिष्ट के लिए पहले ही ईपीआर प्रमाणपत्र तैयार किए जा चुके हैं जिनमें पीआईबीओ द्वारा अपने ईपीआर दायित्वों को पूरा करने हेतु 1.75 मिलियन टन के ईपीआर प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिए गए हैं।

इसके अलावा, स्वच्छ भारत मिशन चरण-II (ग्रामीण) के तहत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाईयां भी स्थापित की जाती हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 (एसबीएम-यू 2.0) के तहत, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। एसबीएम-यू 2.0 हेतु संचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, सामग्री रिकवरी केन्द्रों (एमआरएफ) जैसे अपशिष्ट प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना संधारणीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु वित्त पोषण का एक उपयुक्त घटक है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, देश में मौजूदा ठोस अपशिष्ट सामग्री रिकवरी केन्द्रों की कुल संख्या 4446 है जिनकी क्षमता 31427.2 टीपीडी है।

*****